ज्ञापन-पत्र जिनमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2024) को प्रख्यापित करना आवश्यक समझा गया।

गाय और गाय के वंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण के लिए गो-सेवा आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999) अधिनियमित किया गया ।

उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग अधिनियम, 1999 की धारा 4 में उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था की गयी है। उक्त धारा में मूलतः यह व्यवस्था की गयी थी कि आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2007) द्वारा धारा 4 में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गयी थी कि सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, आयोग का पदेन अध्यक्ष होंगे और आयोग का उपाध्यक्ष सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2013) द्वारा धारा 4 में पुनः संशोधन करके पुरानी व्यवस्था कर दी गयी कि आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वर्तमान में गो-सेवा/गोसंरक्षण के बढ़ते हुये आयाम तथा बढ़ती गोवंश की संख्या एवं समय-समय पर आ रही कठिनाईयों/चुनौतियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग का विस्तारीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है, जिसके लिये उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग में दो अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य, जिसमें एक उपाध्यक्ष पद का सृजन कर कुल 06 गैर सरकारी सदस्य, जिनमें से एक अध्यक्ष एवं दो उपाध्यक्ष सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। उक्त के दृष्टिगत दो अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य, जिसमें एक उपाध्यक्ष के पद का सृजन किये जाने हेतु धारा 4 में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया ।

मा0 मंत्रि परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश गो–सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024 प्रख्यापित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

धर्मपाल सिंह
मंत्री,
पशुधन।

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2024)

[उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अंतर्गत प्रख्यापित किया गया तथा दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–2 खण्ड (क) में प्रकाशित हुआ]

(भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2024 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

''(झ) निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट छह गैर सरकारी सदस्य अर्थात्:—

(एक) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ का एक प्रतिनिधि;

(दो) पांच व्यक्ति, जिनमें से दो कृषक होंगे और तीन राज्य में गायों के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयं सेवी संगठनों से जुड़े होंगे।''

(ख) उपधारा (2) में, शब्द ''अध्यक्ष और उपाध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष'' रख दिये जायेंगे।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 95 सा0 विधायी—10—12—2024—(939)—1,000 प्रतियां—(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।